



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 16 जून, 2021
ज्येष्ठ 26, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 586/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(181)-2021
लखनऊ, 16 जून, 2021

अधिसूचना

प०आ०-140

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन्, 2017) की धारा 9 की उपधारा (1), उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5), धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, और इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा अधिसूचना संख्या क०नि०-2-842/ग्यारह-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(09)-2017, दिनांक 30 जून, 2017 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम संख्या 3 के समक्ष, स्तम्भ-(3) में, मद (iv) में, खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित को बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि दिनांक 14 जून, 2021 से प्रारम्भ होकर दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के समाप्त होने तक की अवधि के दौरान, खण्ड (च) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा विवरण पर राज्य कर, स्तम्भ-(4) में विनिर्दिष्ट दर के बावजूद, 2.5% की दर से उद्ग्रहीत होगा।”

2-यह अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 586 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(181)-2021, dated June 16, 2021 :

No. 586 / XI-2-21-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(181)-2021

Dated Lucknow, June 16, 2021

IN exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council and on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA. NI.-2-842/XI-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(09)-2017, dated June 30, 2017, namely :-

2. In the said notification, in the table, against serial number-3, in Column-(3), in item (iv), *after* clause (f), the following shall be *inserted*, namely,-

"Provided that during the period beginning from the 14th June, 2021 and ending with the 30th September, 2021, the state tax on service of description as specified in clause (f), shall, irrespective of rate specified in Column-(4), be levied at the rate of 2.5 per cent".

3. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 14th day of June, 2021.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 92 राजपत्र-2021-(160)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 8 सा० राज्य कर-2021-(161)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / ऑफसेट)।